

आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/

०७ /वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०  
(जीएसटी अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2017

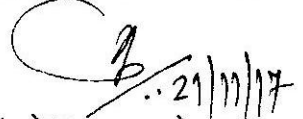
**:आदेश:**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र०अधि० संख्या 1 सन् 2017) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मैं कमिश्नर, यह विनिर्दिष्ट करता हूँ कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:-

**सारणी**

| क्र. सं. | मास         | प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)         | (3)                                                         |
| 1.       | जनवरी, 2018 | 20 फरवरी, 2018                                              |
| 2.       | फरवरी, 2018 | 20 मार्च, 2018                                              |
| 3.       | मार्च, 2018 | 20 अप्रैल, 2018                                             |

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करों का संदाय: प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा।

  
(मुकेश कुमार मिश्राम)  
कमिश्नर वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश